



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-12032026-270874  
CG-MH-E-12032026-270874

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1205]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 11, 2026/फाल्गुन 20, 1947

No. 1205]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 11, 2026/PHALGUNA 20, 1947

रेल मंत्रालय

(मध्य रेलवे)

अधिसूचना

मुंबई, 10 मार्च, 2026

रेलवे (संशोधन) अधिनियम-2008 की धारा 20(E) के तहत

का.आ. 1257(अ)—केन्द्रीय सरकार, ने रेलवे (संशोधन) अधिनियम 2008 (2008 का 11 वां) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20 'सी' की उपधारा (1) के अधीन जारी, भारत के राजपत्र असाधारण भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) 31 दिसम्बर 2025 में प्रकाशित भारत सरकार के रेल मंत्रालय (रेल्वे बोर्ड) की अधिसूचना संख्यांक का. आ. 6136 (अ) तारीख 29 दिसम्बर 2025 इसमें उसके पश्चात उक्त अधिसूचना कहा गया है, द्वारा उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि को, महाराष्ट्र राज्य के नांदेड जिले में विशेष रेल परियोजना अर्थात्, "वर्धा-नांदेड (वाया यवतमाळ पुसद) नई ब्रॉडगेज रेल्वेलाईन" निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उचित ऐसी भूमि का अर्जन करने के आशय की घोषणा की थी।

और, उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 20-(ए) की उपधारा (4) के अधीन दैनिक स्थानीय समाचार पत्रों अर्थात् "डेली नगूशे" 28 जानेवारी 2026 और "उद्याचा मराठवाडा" 29 जानेवारी 2026 को प्रकाशित किया गया था।

और सक्षम प्राधिकारी को आक्षेप प्राप्त हुए थे और उन पर विचार किया गया है तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा तदनुसार आदेश पारित कर दिए गए हैं।

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 20 (ई) की उप-धारा (1) के अनुसरण में अपनी रिपोर्ट केंद्रीय सरकार को सौंप दी है।

अतः अब केंद्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी से उक्त रिपोर्ट के प्राप्त होने पर और उक्त अधिनियम की धारा 20(ई) की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जित की जाएगी।

और यह की केंद्र सरकार उक्त अधिनियम की धारा 20-(ड) की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करता है की, राजपत्र अधिसूचना के प्रकाशित होने पर इसमें उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विलंगमो से मुक्त होकर केंद्रीय सरकार में अत्यंतिक रूप से निहित हो जाएगी।

### अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के नांदेड, जिला में हदगाव तालुका नागरी सेक्शन के अंतर्गत का, सक्षम प्राधिकारी अर्थात् भुसंपादन अधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी, हदगाव के अधीन विशेष रेल परियोजना "वर्धा-नांदेड (वाया यवतमाळ पुसद) नये ब्रॉडगेज रेलवेलाइन" रेलवेमार्ग के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि का संरचना या उसके रहित संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है:

अ. क्र.	भुसंपादन प्रकरण क्रमांक	गाँव का नाम	तालुका	7/12 के अनुसार भूधारक का नाम	सर्वे न. /गावठाण भूखंड नं	भूधारणा पद्धती	7/12 अनुसार कुल क्षेत्र (हे. आर.)	संपादन क्षेत्र (हे.आर.)
1	2025/22	वरवट	हदगाव	{रंजनाबाई गोविंदराव सोनाळे प्रस्ताव अनुसार} आकाश गोविंद सोनाळे 7/12 अनुसार	16	1	1.40	0.0226
कुल हे. आर							1.40	0.0226
							हे.आर.	हे.आर.

[फा.सं. G197/Wardha-Nanded(Yawatmal-Pusad)/Warwat/20E]

भुवनेश कुमार गुप्ता, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)

## MINISTRY OF RAILWAYS

(Central Railway)

### NOTIFICATION

Mumbai, the 10th March, 2026

#### Under clause 20 (E) of the Railway (Amendment) Act 2008

**S.O. 1257(E).**— Whereas, by the notification of the Government of India in the Ministry of Railways (Railway Board), number S.O. 6136 (E), dated 31st December, 2025 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-ii, section 3, Sub-section (ii), dated the 29 December, 2025 and issued under sub-section (I) of section 20(A) of the Railways (Amendment) Act, 2008 (11 of 2008) (here in after referred as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land in the schedule annexed to the said notification for the purpose of execution, maintenance, management and operation of the Special Railway Project namely "Wardha- Nanded (via Yawatmal Pusad) New BG Railway Line" in Nanded District in the State of Maharashtra.

And whereas, the substance of the said notification has been published in the daily local newspapers, namely, "Daily Nagushe" on 28 January 2026 and "Daily Udyacha Marathwada" 29 January 2028 under sub-section (4) of section 20A of the said Act;

And whereas, no objections were received and some have been considered by the Competent Authority accordingly orders have been passed;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 20 (E) of the said Act, the Competent Authority has submitted its report to the Central Government.

Now therefore, upon receipt of the report of the Competent Authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20 (E) of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the Schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose.

And further, in the pursuance of sub-section (2) of section 20 (E) of the said Act, the Central Govt. hereby declares that on publication of the notification in the Official Gazette, the land specified in the Schedule annexed hereto shall vest absolutely in the Central Government free from all encumbrances.

#### SCHEDULED

**Brief description of the land to be acquired, with or without structures, falling within the Special Railway Project "Wardha - Nanded (Via Yavatmal Pusad) New BG Railway Line" in the district of Nanded in the State of Maharashtra.**

Sr. No.	Land Acquisition Case No	Name of the village	Taluka	As per 7/12 landholder's name	Survey No./ Village Plot No.	Land holding practices	As per 7/12 Total area (H.R.)	acquired area
1	2025/22	WARWAT	HADGAON	Ranjanabai Govindrao Sonale. According to 7/12 Aakash Govind Sonale	16	1	1.40	0.0226
<b>Total</b>							<b>1.40 Ha</b>	<b>0.0226 Ha</b>

[F. No. G197/Wardha-Nanded(Yawatmal-Pusad)/Warwat/20E]

BHUVNESH KUMAR GUPTA, Chief Administrative Officer (Construction)